न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **171/2017**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ढलाराम पुत्र दानाराम के विधिक प्रतिनिधि जिला जोधपुर। 1.1 पारसराम पुत्र स्व श्री ढलाराम 1.2 ओमाराम पुत्र स्व श्री ढलाराम जातियान राव निवासीगण ग्राम जाजीवाल भण्डारियाँ तहसील व जिला जोधपुर।		1. शिवराम पुत्र स्व श्री सालगराम 2. श्रीराम पुत्र स्व श्री सालगराम जातियान पटेल निवासीगण ग्राम लोरडी पण्डितजी तहसील व जिला जोधपुर। 3. सरपंच ग्राम पंचायत लोरडी पण्डितजी तहसील व जिला जोधपुर।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2015 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 67/2011 बअनवान शिवराम व अन्य बनाम स्व ढलाराम के का0मु0 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री नथाराम चौधरी, सांगाराम चौधरी,, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री अनिल राठी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।**
3. **रेस्पो संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।**

निर्णय

दिनाकः 15मई,2023

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शिवराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीराम पिसरान सालगराम की ग्राम लोरडी पण्डितजी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 931 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 348 स्वीकृति दिनांक 29.2.1984 को सरपंच ग्राम पंचायत लोरडी पण्डितजी के द्वारा स्वीकृत किया गया, को अपास्त किये जाने हेतु एक प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा गलत रूप से ढलाराम के नाम दुरूस्ती नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को रेस्पो0 संख्या एक व दो को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध, मनमाना व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रथम अमील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम भी पेश कर कथन कि उक्त वादग्रस्त भूमि ख0ं0 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलान्टस आये और कब्जा करने पर आमदा हुए तब उक्त भूमि जरिये नामा0 उनके नाम दर्ज होने का बताया जब उन्हें अपीलाधीन नामा0 348 स्वीकृत हो जाने की जानकारी हुई थी जिसके पश्चात उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर रहे है जिसे देरी को माफ करते हुए गुणावगुण पर सुना जाकर निस्तारण किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलान्टस की ओर से जवाब पेश कर बताया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपील पेश की है। अपील नामा0 संख्या 10 के

विरूद्ध पेश की गई है जो नामा0 रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा ख0सं0 921 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा बाबत स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 के द्वारा अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र में गलत अभिवचन किये गये है जो पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। रेस्पो0 शिवराम के व श्रीराम के पिता सालगराम पुत्र सार्दुलराम की ख0सं0 921 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा व ख0ंस0 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा थी जो सालगराम के द्वारा दिनांक 9.3.1962 को ही अपीलान्टस के पिता ढलाराम पुत्र दानाराम को बेचान कर सुपुर्द कर दी थी। तथा बेचाननामें के आधार पर नामा0 संख्या 10 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया परन्तु राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश बेचानशुदा भूमि का नामा0 ढलाराम पुत्र दानाराम के पक्ष में उक्त वक्त स्वीकृत होना रह गया था जिसकी जानकारी ढलाराम के देहान्त हो जाने पर ढलाराम के वारिसान अपीलान्ट व प्रेमाराम के द्वारा जब अपने हक में नामा नामा0 स्वीकृत करने बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब हुई जिस पर अपीलान्टस के द्वारा तहसीलदार जोधपुर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामा0 दर्ज करने का लिखा तब तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश कमांक 453 दिनांक 4.2.1984 को ढलाराम पुत्र दानाराम के पक्ष में ख0सं0 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा बाबत नामा0 दर्ज करने का आदेश दिया जिसकी पालना में नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ।

इसी प्रकार खातेदार ढलाराम के देहान्त उपरान्त उनके विधिक प्रतिनिधियों पुत्र प्रेमाराम, पारसराम व ओमाराम के पक्ष में ख0सं0 921 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा व ख0ंस0 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा का नामा0 संख्या 349 दिनांक 29.2.84 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात ढलाराम के पुत्र प्रेमाराम के द्वारा अपना हक–हिस्सा जरिये हकतर्कनामा अपने भाई ओमाराम के पक्ष मे कर दिया जिसके अनुसरण में नामा0 संख्या 710 स्वीकृत हुआ। तब से उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस भूमियों पर अपीलान्ट के रहवासीय मकान भी बने हुए है। जिसकी जानकारी रेस्पो0 संख्या एक व दो को शुरू से ही रही है। जिन तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से गलत अपील म्याद गुजरने के बाद प्रस्तुत की गई थी। रेस्पो0 के द्वारा लोभ व लाचचवश जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण वर्षो बाद यह अपील पेश की गई है। ऐसे में रेस्पो0 की प्रथम अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत अपील को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.8.15 को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानते हुए नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलान्टस व रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन कृषि बाबत सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस

स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेट संख्या 3 द्वारा नामान्तकरण संख्या 10 बैचान दिनांक 09.03.1962 जो बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है वह बेचान नामा अपंजीकृत दस्तावेज है। नामान्तकरण संख्या 10 गलत आधारों पर अपंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नामा0 संख्या 10 जो बेचाननामा दिनांक 9.3.1962 के आधार पर स्वीकृत किया उस बेचाननामा की लिखत 2/—रूपये के स्टाम्प पर है जो बेचाननामा अपंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर नामा0 स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि हुई, माना जबकि सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा दी हुई है जिसमें सम्पति का मूल्य 100 रूपये से अधिक होने पर ही उसका रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना होता है और कम है तो उसका बेचाननामा पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पति का मूल्य 100/— रूपये से कम है तो उसका बेचानानामा पंजीकृत होना अनिवार्य नही है। उक्त बेचाननामें में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ख0सं0 921 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा व ख0सं0 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा कुल 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि सालगराम पुत्र सार्दुलराम द्वारा ढलाराम वल्द दानाराम को 98/— रूपयें में बेचान करते हुए कब्जा सुपुर्द किया गया हैं। उक्त बेचान के आधार पर नामा0 संख्या 10 स्वीकृत किया गया है। ऐसे में उक्त नामा0 को निरस्त करने में अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की गई है। इसके अतिरिक्त नामा0 पर स्वीकृति की तारीख व ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख अंकित नहीं होना भी अधिनस्थ न्यायालय ने नाामा0 को निरस्त करने का कारण दर्शाया अपीलाधीन आदेश में दर्शाया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील नामा0 संख्या 10 बेचाननामा दिनांक 9.3.1962 के आधार पर स्वीकृत होने के करीब 49 वर्ष पश्चात वर्ष 2011 में पेश की गई थी जबकि उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता सालगराम के द्वारा रेस्पो0 के जन्म से पूर्व ही क्रय कर दी गई थी और अपीलान्टस के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि पर रहवासीय मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते है तथा कब्जा काश्त करते आ रहे है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के प्रावधानो को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में जब तक बेचाननामा सक्षम न्यायालय से कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता तब तक अपीलाधीन नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता था। धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों अनुसार बेचाननामा दिनांक 9.3.1962 विधिवत रूप से निष्पादित किया गया है जिसके सही होने की उपधारण की जाती है, उक्त बेचाननामें को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य या निरस्त नहीं किया जाता तब तक उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत नामा0 को भी कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है और नामा0 संख्या 10 निरस्त करने के आधार पर नामा0 संख्या 348 भी निरस्त कर दिया गया जो विधि विपरित निरस्त किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.8.15 निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि इसी प्रकार फौतेदगी नामा0 संख्या 349 दिनांक 29.2.1984 को ढलाराम के देहान्त उपरान्त अपीलान्टस के पक्ष में

स्वीकृत किया गया है। जो विधि अनुकूल मृतक खातेदार के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की प्रथम अपील को अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार की है जबकि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 के म्याद प्रार्थना पत्र का स्पष्ट रूप से जवाब पेश किया गया था कि वादग्रस्त खसरो की भूमि उनके पिता द्वारा दिनांक 9.3.1962 को ही खरीद करते हुए कब्जा प्राप्त किया गया जिन भूमियों का नामा0 संख्या 349 दिनांक 29.2.84 को अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई प्रेमाराके पक्ष में स्वीकृत किया गया है एवं वर्तमान में अपीलान्टस के वर्षो पुराने बने रहवासी मकान आज दिन तक स्थिति और वह परिवार सहित निवास कर रहे है। जिसे नहीं मानने बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में एक शब्द भी नहीं अंकित किया है। इस प्रकार स्वीकृत हुए नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित न कर तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जबकि नामा0 ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील संख्या 67/2011 में पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 31.8.2015 विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शिवराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीराम पिसरान सालगराम की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया कि वे स्व0 सालगराम के पुत्र/वारिसान है एवं रेकर्डेड खातेदार है। ग्राम लोरडी पण्डितजी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा उनकी कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर वर्तमान में भी उनका कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि अपीलान्ट संख्या 1/1 व 1/2 के पिता ढलाराम के नाम गलत रूप से नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को दुरूस्ती का नामा बिना रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, उसे निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेट संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 ग्राम पंचायत के द्वारा अपंजीकृत बेचान के अनुसार स्वीकृत किया गया है व वह बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता सालगराम द्वारा किया नहीं गया है और न ही उक्त बेचान दस्तावेज रजिस्टर्ड है, नामान्तकरण संख्या 10 गलत आधारों पर अपंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है व उसके पश्चात श्री ढलाराम के देहान्त के उपरांत नामान्तकरण संख्या 349 भी अपीलान्ट संख्या 1/1 व 1/2 के नाम स्वीकृत किया गया है, दोनों ही नामान्तरकरण पूर्ण रूप से विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से खारिज किये जावें। उक्त नामा0 संख्या 348 के विरूद्व प्रथम अपील के संलग्न म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेट संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत

द्वारा बिना प्रस्ताव लिये ही बैठक में प्रस्ताव रखे यानि प्रस्ताव के बगैर उक्त नामा0 स्वीकृत कर दिया गया। नामा0 के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत बैठक किस दिनांक को बुलाई व किस दिनांक को प्रस्ताव रखा, ऐसा कोई इन्द्राज नामा0 में नहीं किया गया है, न ही बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस आधार पर नामा0 काबिल खारिज के है। अतः नामा0 को खारिज करते हुए उक्त भूमि को पुनः रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेट संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने एवं जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर देते हुए जवाब प्राप्त कर सुनवाई करने के उपरान्त ही अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान पंजीयन नियमों के तहत निष्पादित नहीं होने से वह बेचान भी शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आने से बेचान विधि विरूद्ध हुआ था, ऐसे शून्य बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

रेस्पोडेट संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 शिवराम व श्रीराम स्व0 सालगराम के पुत्र/वारिसान है एवं रेकर्डेड खातेदार है। ग्राम लोरडी पण्डितजी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 931/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा उनकी कब्जा काश्त की भूमि है जो सालगराम के जीवनकाल से उनके कब्जे काश्त में रही है। जिस पर वर्तमान में भी उनका कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट संख्या 1/1 व 1/2 स्व0 ढलाराम के वारिसान है। स्व0 ढलाराम के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान का नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.1984 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 संख्या 348 बेचान दिनांक 9.3.1962 के आधार पर स्व0 ढलाराम के नाम स्वीकृत किया गया है। वह बेचान न तो कभी रेस्पो0 के पिता द्वारा किया गया है और न हीं ऐसा कोई बेचन रजिस्टर्ड हुआ है। उक्त नामा0 गलत आधारों पर एवं अपंजीकृत बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बाद में ढलाराम का देहान्त होने के उपरान्त विरासत का नामा संख्या 348 अपीलान्ट 1/1व 1/2 के नाम स्वीकृत किया गया है ऐसे में दोनों ही नामा0 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य थे।

रेस्पोडेट संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरणों का गहनता से परीक्षण किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें नामा0 के कॉलम संख्या 14 में बजरिये बेचान दिनांक 9.3.1962 के अनुसार सालग का नाम काट कर ढलाराम का नाम दर्ज करने का हुक्म फरमावे, अंकित किया हुआ पाया तथा नामा0 में किसी प्रकार की तारीख अंकित नहीं थी। इसके अलावा बेचान का अंकन किया गया है उक्त बेचन की प्रति में लिखत 2/– रूपये के स्टाम्प की गई पाई गई। उक्त बेचान अपंजीकृत है दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक व उसके लिये गये प्रस्ताव, दिनांक का कोई अंकन नामा0 में अंकित किया हुआ नहीं पाया गया। इस नामा0 के आधार पर ढलाराम पुत्र दानाराम का नाम

का नामां0 संख्या 348 दिनांक 29.2.84 को स्वीकृत किया गया है वो विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है एवं सालगराम के वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही ही दोनों नामा0 की कार्यवाही की गई है। जो निरस्तीनिय होना माना। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 10 एवं नामा0 संख्या 348 दिनांक 29.2.84 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन आदेश में जारी निर्देश विधि अनुकूल उचित है जिसमें प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर अपीलान्ट व रेसपो0 को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करें, उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि नामा0 संख्या 10 बेचाननामा दिनांक 9.3.1962 के आधार पर भरा गया है। जिसकी अपील वर्ष 2011 में 49 साल की देरी से की गई है तथा नामा0 संख्या 348 व 349 वर्ष 1984 में भरे गये जिनकी अपील 27 साल पश्चात की गई है। उक्त विलम्ब अवधि को कन्डोन किये जाने हेतु कोई ठोस, विश्वसनीय या "Sufficient Cause" पत्रावली पर नहीं पाया गया है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि—

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

अपील में वर्णित भूमि का 98 रूपये में बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। चूंकि स्थावर सम्पति का मूल्य 100 रूपये से कम है, इसलिये अपीलान्ट द्वारा बेचाननामों का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होना प्रतिवेदित किया है। इसके अलावा बेचाननामा दिनांक 9.3.1962 को किसी भी सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं किया गया है जब तक बेचाननामा शून्य घोषित नहीं होता है तब तक बेचाननामें के आधार पर

भरा गया नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार समस्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर